

# छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 232

प्रकरण क्रमांक -SM-URP-2024-02367

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध मेसर्स एच. आर. डेव्हलपर्स, द्वारा-पार्टनर श्री जगदीश प्रसाद अग्रवाल, पता-चौबे कालोनी, रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
06/05/2024	<p>– प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>– अनावेदक मेसर्स एच. आर. डेव्हलपर्स, द्वारा-पार्टनर श्री जगदीश प्रसाद अग्रवाल, पता-चौबे कॉलोनी, जिला-रायपुर (छ.ग.) खसरा नं. -207/58 एवं अन्य खसरा नंबर, कुल रकबा-1.421 हेक्टेयर के भूखण्ड को विकसित किये जाने हेतु विकास अनुज्ञा क्रमांक-18450 प्राप्त की गई है। प्राधिकरण के समक्ष उक्त परियोजना का पंजीयन हेतु कोई आवेदन अनावेदक/प्रमोटर द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।</p> <p>रजिस्ट्रार, छ.ग. रेरा द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 05.03.2024 के अनुसार यह पाया गया है कि संबंधित प्रमोटर द्वारा धारा-3 के अधीन प्राधिकरण के समक्ष पंजीयन नहीं करवाकर अधिनियम की धारा-59 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है, जो कि दण्डनीय है। अतः प्राधिकरण द्वारा अनावेदक के विरुद्ध दिनांक 19.04.2024 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।</p> <p>– प्राधिकरण द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट से संबंधित समस्त दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। अनावेदक द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट का छ.ग. रेरा में दिनांक 10.06.2019 को पंजीकृत किया जा चुका है, जिसका पंजीयन क्रमांक-PCGRERA100619000978 है। अतः प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण प्रकरण समाप्त किया जाता है।</p> <p>– आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे।</p> <p>– प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे।</p> <p style="text-align: center;">सही / - (धनंजय देवांगन) सदस्य</p> <p style="text-align: center;">सही / - (संजय शुक्ला) अध्यक्ष</p>	